

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 06/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, द्वितीय तल, कैलाश टॉवर, गांधी नगर मोड़ के पास, टॉक रोड़, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. श्री गिरीश चन्द्र पुत्र श्री राम चरण शर्मा,
2. श्रीमती मधू शर्मा पत्नी श्री गिरिश शर्मा,
पता:- 20 ए, पी एण्ड टी कॉलोपी, शांति नगर, हटवाड़ा रोड़, खातीपुरा, जयपुर
एवं फ्लेट नं. एफ-2, स्कीम 8, अनुरोध अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 87, महादेव नगर, गांधी पथ, क्वीन्स
रोड़, जयपुर।
3. श्री अमित शर्मा पुत्र श्री गिरिश शर्मा,
4. श्री गोगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र शर्मा,
पता:- जी-1, संस्कार अपार्टमेन्ट, स्कीम नं. 1, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री गिरिश चन्द्र शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. एफ-2, स्कीम 8, अनुरोध अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 87, महादेव नगर, गांधी पथ, क्वीन्स रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 92.20 वर्गमीटर को बंधक रखकर दिनांक 01.12.2005 को राशि 11,50,000/- रुपये, दिनांक 07.05.2007 को राशि 02,10,000/- रुपये एवं दिनांक 31.12.2013 को राशि 07,95,000/- रुपये कुल राशि 21,55,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजों का गलीगति अवलोकन किया गया।

1. पत्रावली को अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 21,55,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 11,31,754/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री गिरिश चन्द्र शर्मा के स्वामित्व की बंधक

5.

6. संपत्ति प्लेट नं. एफ-2, स्कीम 8, अनुरोध अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 87, महादेव नगर, गांधी पथ, क्वीन्स रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 92.20 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दीखिल दफतर हो।



8. आदेश आज दिनांक 31.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरीहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर